न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।

उपस्थित– रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (जे०ओ० कोड– UP 3725)

CNR No.– UPLP 1200 0066 2020
फौजदारी मुकदमा संख्या–2073/2024
कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–19/2020

सरकार
बनाम
1– शराफत उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र रमजानी,
2– दिलदार उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र मंगरे,
3– वसीर उर्फ बस्सू उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र मंगरे,
4– रमजानी उम्र लगभग वर्ष पुत्र मंगरे, (मृतक)
निवासीगण ग्राम सौहोना, थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

मु०अ०सं०–611/2006
अं०धारा–324, 452, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

अभियोजन की ओर से .... विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार मिश्रा।
बचावपक्ष की ओर से .... विद्वान अधिवक्ता श्री इकबाल अहमद खाँ।

क्र०सं०	**दिनांक**	**घटना/कार्यवाही**
1.	02.08.2006	घटना
2.	09.08.2006	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	12.10.2006	आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया
4.	26.02.2007	अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किया गया
5.	19.01.2026	बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित
6.	20.06.2026	अंतिम बहस
7.	04.07.2026	निर्णय

निर्णय

पुलिस थाना–पसगवां, जिला–खीरी द्वारा मु०अ०सं०–611/2006 अन्तर्गत धारा–324, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के अधीन अभियुक्तगण शराफत, रमजानी, दिलदार व वसीर उर्फ बस्सू के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "मैं प्रार्थी रियासत पुत्र मुस्ताक गद्दी ग्राम सोहोना थाना पसगवां जनपद खीरी लखीमपुर का निवासी हूँ और एक शरीफ किसान हूँ। दिनांक 02.08.2006 को प्रातः 6 बजे मेरी बीबी परवीन खेत में टट्टी करने गयी थी तो खेत के पास पक्की सड़क के किनारे शराफत पुत्र रमजानी ने मेरी पत्नी परवीन के साथ बदत्मीजी की और कहा दिखाते हुए कहा कि 10000 हजार रु० ले लो और मेरी रखैल बन जा, मेरी पत्नी ने उसे फटकारा और घर आकर पूरी बात मुझे बताई तो मैं व मेरे पिता, रमजानी से शराफत की शिकायत कर आये उसके बाद दिनांक 02.08.2006 को करीब 9 बजे प्रातः शराफत पुत्र रमजानी चाकू लेकर, रमजानी पुत्र मंगरे डण्डा लेकर, दिलदार पुत्र मंगरे लाठी लिए हुए, वसीर पुत्र मंगरे डण्डा लिए हुए मेरे घर के अन्दर जबरन घुस आये और सभी लोग मेरी पत्नी परवीन व पिता मुस्ताक व मुझे लात–घूसों व डण्डों से आंगन में मारने लगे मेरी पत्नी को शराफत व दिलदार ने मारते हुए आंगन में गिरा दिया व शराफत ने उसे चाकू मारे, जिससे वह चोटहिल हो गयी, खून निकलने लगा मेरी बीबी के चिल्लाने पर सफूर पुत्र जामिद व असलम पुत्र जामिद व मेरा साला आसान आ गये और शराफत बगैराह को डांटा व समझाया तब वे लोग जान से मार डालने व माँ–बहन की गालियां देते हुए चले गये। इन लोगों ने यह भी धमकी दी कि अगर थाने गये तो जान से मार डालेंगे। इन लोगों ने रास्ते में गाढा बंदी भी की थी। मैं अपनी पत्नी को मोहम्मदी सरकारी अस्पताल ले जाकर चोटों की डॉक्टरी करायी। मेरे व मेरे बाप के कोई गहरी चोट नहीं थी अन्दरूनी गुम चोट थी इसलिए डॉक्टरी नहीं करायी डर कम हो जाने पर मैं अपनी बीबी का डॉक्टरी मुआयना व दरखास्त लेकर थाने आया हूँ।"

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना कर गवाहन के बयानात लिये गए एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण शराफत, रमजानी, दिलदार व वसीर उर्फ बस्सू के विरुद्ध धारा–324, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में हाजिर आये एवं उनके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्तगण को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2007 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा अपने विचारण की मांग की।

अभियोजन के साक्ष्य के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–313 दं० प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

<u>अभियुक्त रमजानी की मृत्यु दिनांक 12.07.2015 को होने के कारण अभियुक्त रमजानी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 23.08.2016 को उपशमित की जा चुकी है।</u>

दिनांक 19.01.2026 को अभियुक्तगण शराफत, दिलदार व वसीर उर्फ बस्सू का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। गवाहन के बयान के संबंध में, गलत गवाही दी है, का कथन किया है। सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

अभियोजन के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बहस में किये गये तर्कों के परिपेक्ष्य में न्यायालय को अब यह अवधारित करना है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–324, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि साक्ष्य विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पर अपने वाद के तथ्यों को साबित करने का प्रथमतः भार होता है। इसी क्रम में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् विष्लेषण विधायिका द्वारा धारा–324, 452, 504, 506 भा०दं०सं० में दिये गये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा–324 भा०दं०सं०–खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाना– जो कोई धारा 334 द्वारा उपबन्धित मामले के सिवाय, गोली चलाने, छूरा घोंपने या काटने के किसी उपकरण द्वारा, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, या आग या किसी गर्म पदार्थ द्वारा या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसे सांस के साथ अन्दर लेना, निगलना, या रक्त में मिलना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी पशु द्वारा, स्वेच्छा से चोट पहुंचायेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी। या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा–452 भा०दं०सं०– उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार– जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 07 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–504 भा०दं०सं०– लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा–506 भा०दं०सं०– आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से यह दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो तथा यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से या 07 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 07 वर्ष से कम की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों में निहित आवश्यक तत्वों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार है।

उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से केवल 02 गवाहान को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है।

क्रम सं०	**अभियोजन साक्षी सं०**	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
1.	पी०डब्लू०–1	रियासत	पीड़ित साक्षी/चोटहिल
2.	पी०डब्लू०–2	परवीन	पीड़ित साक्षी/चोटहिल

दास्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार हैं–

क्रम सं०	**प्रदर्श सं०**	**प्रदर्श का विवरण**	**प्रदर्श जिसके द्वारा साबित किया गया**
1.		आरोप पत्र	
2.		प्रथम सूचना रिपोर्ट	
3.	प्रदर्श क–1	मूल तहरीर	पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा रियासत
4.		नक्शा–नजरी	
5.		मजरूबा परवीन की मेडिकल रिपोर्ट	
6.		कायमी जी०डी०	

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा रियासत ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि "घटना आज से लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है। मेरी औरत परवीन सुबह 6 बजे खेत पर लैट्रिन करने गयी थी। जब वह शौच कर वापस आ रही थी तब उसे रास्ते में शराफत मिला, उसने मेरी पत्नी के साथ बत्तमीजी की और मुझसे कहा तुम मुझसे दस हजार रुपये ले लो और मेरी रखैल बन जाओ। मेरी औरत ने शराफत को फटकारा। जब मेरी औरत मेरे घर आयी तो यह घटना मुझे व मेरे पिता मुश्ताक को बतायी। मेरे पिता व मैं, रमजानी, जो शराफत के पिता हैं, के घर गये उनसे शिकायत की तो उसी दिन दिन के 9 बजे सुबह शराफत चाकू, दिलदार के हाथ में लाठी, रमजानी व वशीर डन्डा लेकर मेरे घर में घुस आये। मुझे व मेरे पिता को डंडा व लात–घूसों से शराफत ने मेरी औरत को चाकू से मारा। चाकू की चोट मेरी औरत को दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर आयी। मुझे व मेरे पिता को अन्दरूनी चोट आयी। मेरी पत्नी चिल्लायी तो शोर पर असलम, शफूर व आसान आ गये। इन लोगों को डांटा फटकारा व समझाया तब मुल्जिमान यह कहते हुए भाग गये कि साले यदि रिपोर्ट लिखाने थाने गये तो जान से मार डालेंगे। इस कारण जब मैं रिपोर्ट लिखाने जाता था तो यह लोग रास्ते में गड़ा लगाए बैठे रहते थे, इस कारण मैंने थाने में एक हफ्ते विलम्ब से रिपोर्ट लिखायी। मैंने थाने में एक तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर शामिल पत्रावली है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला जाता है। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। यद्यपि मेरी पत्नी की डॉक्टरी रिपोर्ट घटना वाले दिन ही सरकारी अस्पताल मोहम्मदी में हुई थी। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। बयान रिपोर्ट लिखाने जाने वाले दिन ही मेरे घर पर ही लिया था।"

पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा रियासत ने अपनी जिरह में कथन किया है कि "घटना की मुझे तारीख नहीं पता है। समय सुबह के 6 बजे थे। घटना के समय मैं अपने घर पर था। घटना की सूचना मुझे मेरी पत्नी परवीन ने दी थी। घटना के पांच मिनट बाद मुझे सूचना मिली। घटना को मैंने अपने आप नहीं देखी। मैं पहले थाने नहीं गया था। डॉक्टरी पहले करवायी थी। डॉक्टरी कराने हम व मेरी पत्नी दो लोग गये थे। मैंने डॉक्टरी मोहम्मदी में करायी थी। गाड़ा बंदी होने के कारण पसगवां में डॉक्टरी नहीं करायी थी। मेरी बीबी और शराफत के बीच पहले से कोई चक्कर नहीं चल रहा था। मेरी बीबी को शराफत व दिलदार ने मारा था। मेरी पत्नी के दाहिने हाथ के कोहनी के ऊपर चोट आयी थी। बाकी अन्य चोटों के बारे में जानकारी नहीं है। घटना रोड पर हुई थी।

रोड पर क्या हुआ था? शराफत ने मेरी पत्नी से कहा दस हजार रुपया ले लो और मेरी रखैल बन जाओ। रोड के पश्चिम खेत है। खेत विजय कुमार का है, पूरब में बाग है, बाग मेरे पिता मुस्ताक व आजाद, सरताज, लईक व मोहम्मद सलीम का है। रोड उत्तर–दक्षिण का है। हफ्तेभर यह लोग गाड़ा बंदी करते रहे। मोहम्मदी आने के लिए गाड़ा बंदी नहीं की थी। मोहम्मदी से पसगवां जाने वाली रोड पर भी गाड़ा बंदी थी। मेरा गांव मोहम्मदी पसगवां रोड पर नहीं पड़ता है। मोहम्मदी से जहानीखेड़ा रोड पर मेरा गांव पड़ता है। रमजानी व वसीर ने भी मेरी बीबी को थोड़ा बहुत मारा था। घटना 15 मिनट तक चलती रही। गांव के लोग घर से बाहर थे घर की घटना है। सभी मुल्जिमानों ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। दरोगाजी ने मेरा बयान मेरे घर पर लिया था। घटना की जब रिपोर्ट लिखाई थी उसी दिन बयान लिया था। बयान मेरा, मेरी पत्नी व मेरे पिता का लिया था। उसी दिन दरोगाजी ने नक्शा भी बनाया था। मेरी

तहरीर पसगवां की एक औरत ने लिखी थी। मुल्जिमान ने भी मेरे ऊपर बाद में झूठा मुकदमा लिखाया था। वह मुकदमा इसी न्यायालय में चल रहा है। इन मुल्जिमान से पहले मेरा कोई मुकदमा नहीं चला है।”

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 परवीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि “घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। समय सुबह के 6 बजे खेत में शौच करने गयी थी जब शौच से वापस आ रही थी तो रास्ते में शराफत मिला तथा बत्तमीजी करते हुए कहा तुम मुझसे दस हजार रुपये ले लो और मेरी रखैल बन जाओ। मैंने उसको इस बात के लिए डांटा फटकारा। मैंने घर आकर घटना के अपने शौहर व ससुर को बतायी। मेरे शौहर व ससुर, शराफत के पिता रमजानी के पास शिकायत करने गये। उसी दिन 9 बजे सुबह मेरे घऱ शराफत चाकू, रमजानी डंडा व दिलदार लाठी व वशीर डंडा लिए घुस आये और मुझे, मेरे ससुर व पति को मारने लगे। मेरे ससुर व शौहर को रमजानी, दिलदार व वसीर ने डंडा व लात–घूसों से मारा। मुझे शराफत ने चाकू से मारा मेरे दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर चोट आयी (चाकू)। मेरे चिल्लाने पर शफूर, असलम, आसान आये इन लोगों के समझाने बुझाने पर हम लोगों को मुल्जिम यह कहते हुए यदि साले थाने रिपोर्ट लिखाने गये तो जान से मार डालेंगे। इस कारण मेरे शौहर ने एक हफ्ते विलम्ब से मेरी रिपोर्ट लिखायी थी। जिस दिन मारपीट हुई थी, उसी दिन मेरी डॉक्टरी सरकारी अस्पताल मोहम्मदी में हुई थी। दरोगाजी रिपोर्ट लिखाये जाने वाले दिन ही आकर मेरा बयान मेरे घर लिया था।”

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतया सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि–

1. क्या दिनांक 02.08.2006 को समय सुबह लगभग 09:00 बजे, बहद ग्राम सौहौना, थाना–पसगवां, जिला–खीरी में अभियुक्तगण शराफत, दिलदार व वसीर उर्फ बस्सू द्वारा वादी मुकदमा रियासत के घर में घुसकर गृह अतिचार किया गया था अथवा नहीं।
2. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रियासत लात–घूसों, लाठी डंडो व उसकी पत्नी परवीन को लात–घूसो, लाठी डंडों व चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया गया था अथवा नहीं।
3. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रियासत व उसकी पत्नी परवीन को गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया गया था अथवा नहीं।
4. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रियासत व उसकी पत्नी परवीन को जान से मारने की धमकी देने का अभित्रास कारित किया गया था अथवा नहीं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा रहा है–

<u>आरोप अन्तर्गत धारा– 452, भा०दं०सं०</u>

उपरोक्त प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दो घटनाओं का उल्लेख मिल रहा है। पहली धटना दिनांक 02.08.2006 सुबह 6:00 बजे की है जब वादी की पत्नी परवीन सुबह खेत पर लेट्रिन करने गयी और जब वह वापस घर आ रही थी तो रास्ते में शराफत ने बद्तमीजी करते हुए उससे दस हजार रूपये की पेशकश करते हुए उसे अपनी रखैल बनाने की बात कही, जिस पर वादी की पत्नी परवीन ने उसे फटकार दिया और घर आकर सारी बात अपने ससुर मुश्ताक व पति रियासत को बतायी।

दूसरी घटना भी दिनांक 02.08.2006 की उस समय की है जब पीडिता परवीन के ससुर मुश्ताक व पति रियासत मुल्जिम शराफत के पिता रमजानी के घर उसकी शिकायत करने गये तथा शिकायत करने के उपरान्त जब पीडित पक्ष अपने घर वापस आ गया तब सुबह 9:00 बजे मुल्जिमान शराफत चाकू लेकर, रमजानी डण्डा लेकर, दिलदार लाठी लेकर, व वसीम डण्डा लेकर वादी के घर में घुसकर आये और वादी, उसके पिता व परवीन के साथ मारपीट की, तथा अभियुक्त शराफत ने चाकू से परवीन को घायल कर दिया।

धारा 452 भा0दं0सं0 के आरोपों के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह वादी मुकद्मा पी0डब्लू0–1 शराफत ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में करते हुए तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। जिसके खण्डन में बचाव पक्ष ने कोई भी ठोस सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। बचाव पक्ष के द्वारा जिरह किये जाने पर पी0डब्लू0–1 शराफत ने प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि उसे घटना की तारीख नहीं मालूम। समय सुबह 6:00 बजे थे। घटना के समय वह अपने घर पर था। घटना की सूचना उसे उसकी पत्नी परवीन ने दी थी। घटना के पांच मिनट बाद उसे सूचना मिली थी। घटना को उसने अपने आप नहीं देखा था। इस प्रकार दिनांक 02. 08.2006 की सुबह 6:00 बजे की घटना के सम्बन्ध में जो कथन वादी रियासत ने अपनी प्रतिपरीक्षा में किये हैं वे तहरीर के कथनों से मेल खाते हैं उनमें कोई भी मिलावट नहीं हैं वे सत्य हैं। दिनांक 02.08.2006 की सुबह की 6:00 बजे की घटना के सम्बन्ध में पी0डब्लू0–2 परवीन ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसने सारी बात घर वापस आकर अपने ससुर व पति रियासत को बतायी।

अब प्रश्न आता है घटना नं0–2 का जोकि उसी दिनांक 02.08.2006 की सुबह 9:00 बजे मुल्जिमान के द्वारा कारित की गयी थी। घटना नं0–2 के सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 रियासत ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– "<u>मेरे पिता व मैं, रमजानी, जोकि शराफत के पिता हैं, के धर</u>

गये, उनसे शिकायत की तो उसी दिन के 9 बजे सुबह शराफत चाकू, दिलदार के हाथ में लाठी, रमजानी व वशीर डण्डा लेकर मेरे घर में घुस आये। मुझे व मेरे पिता को डण्डा व लात घूंसों से, शराफत ने मेरी औरत को चाकू से मारा। चाकू की चोट मेरी औरत को दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर आयी। मुझे व मेरे पिता को अन्दरूनी चोटें आयीं।" "यद्यपि मेरी पत्नी की डॉक्टरी रिपोर्ट घटना वाले दिन ही सरकारी अस्पताल मोहम्मदी में हुयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष के द्वारा पी0डब्लू0–1 रियासत से जिरह किये जाने पर प्रतिपरीक्षा में भी पी0डब्लू0–1 रियासत ने घटना नं0–2 के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है कि "मेरी बीवी व शराफत के बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मेरी बीवी को शराफत व दिलदार ने मारा था। मेरी पत्नी के दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर चोट आयी थी बाकी अन्य चोटों के बारे में जानकारी नहीं है।" "रमजानी व वशीर ने भी मेरी पत्नी को थोडा बहुत मारा था। घटना 15 मिनट तक चलती रही। **गांव के लोग घर से बाहर थे घर की घटना है।"**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया है कि धटना वादी के घर के अन्दर नहीं हुयी है, बल्कि घर के बाहर रोड पर हुयी है तथा वादी ने यह बात अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं स्वीकार की है। बचाव पक्ष के तर्क का विरोध करते हए विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि घटना घर के अन्दर की मुल्जिमान ने कारित की है। रोड पर घटना होने के सम्बन्ध में पी0डब्लू–1 रियासत ने जो कथन किया है वह सुबह 6:00 बजे की घटना के सम्बन्ध में किया है जब परवीन से शराफत ने रास्ते में उसे रोककर बद्तमीजी की थी, तथा दूसरी घ टना घर के अन्दर 9:00 बजे कारित हुयी है उसके सम्बन्ध में पी0डब्लू–1 रियासत ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि **घटना घर की थी।**

उभयपक्षों के द्वारा किये गये कथन व तर्कों के विषय में पी0डब्लू–1 रियासत के मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के कथनों का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि पी0डब्लू–1 रियासत ने मुख्य परीक्षा मे दिनांक 02.08.2006 की सुबह 9:00 बजे की घ टना को घर में कारित होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षा में जो कथन किया है कि घ टना रोड पर हुयी थी वह सुबह 6:00 बजे की घटना के सम्बन्ध में किया है। इस प्रकार दोनो ही अलग–अलग घटना के बारे में पी0डब्लू0–1 रियासत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में कोई बल नही है। पी0डब्लू0–1 रियासत के मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा के कथनों से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित हो रहा है।

पी0डब्लू0–2 परवीन ने अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में हूबहू किया है तथा दिनांक 02.08.2006 को घटित सुबह 6 बजे की घटना व दूसरी घ टना जोकि वादी के घर में मुल्जिमान ने 9:00 कारित की, दोनों ही घटनाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि बचाव पक्ष के द्वारा पी0डब्लू0–2 परवीन से कोई भी जिरह नहीं की गयी है। आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 02.02.2010 को पी0डब्लू0–2

परवीन की मुख्य परीक्षा अंकित किये जाने के पश्चात जिरह जारी की गयी थी। उसके पश्चात दिनांक 18.02.2011 को परवीन न्यायालय में हाजिर आयी थी। उसका निशानी अंगूठा आदेश पत्र पर अंकित है। परन्तु नियत दिनांक 18.02.2011 को कोई भी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं आया था और अभियुक्तगण के हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा निरस्त कर एन0बी0डब्लू0 जारी किये गये थे। इसके पश्चात दिनांक 29.03.2011 को भी पी0डब्लू0–2 परवीन न्यायालय में हाजिर आयी लेकिन अभियुक्त रमजानी न्यायालय में गैर हाजिर थी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त रमजानी की ओर से कोई भी हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और ना ही परवीन से जिरह की गयी। न्यायालय द्वारा रमजानी के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी किया गया। इस प्रकार बचाव पक्ष के आचरण से स्पष्ट हेा रहा है कि बचाव पक्ष ने जानबूझकर पी0डब्लू0–2 परवीन से जिरह नहीं की। इस प्रकार पी0डब्लू0–2 परवीन के कथन अखण्डनीय हैं। पी0डब्लू0–1 रियासत तथा पी0डब्लू0–2 परवीन के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित हो रहा है।

आरोप अन्तर्गत धारा 324 भा0दं0सं0

धारा 324 भा0दं0सं0 के आरोप के सम्बन्ध में पत्रावली पर मौजूद मजरूबा परवीन की मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन करने से विदित होता है कि परवीन की मेडीकल रिपोर्ट में चिकित्सक ने जिन चोटो का उल्लेख किया है वे इसप्रकार हैं–

(1)- Incised wound of 4.0 x 0.3 cm. Skin deep on anterior lateral aspect of right arm 7.0 cm. Above the right elbow fresh clotted blood.
(2)- Incised wound of 3.5 x 0.3 cm. Skin deep on lateral aspect of right fore arm 1.5 cm. Posterior lateral injury no. 1 fresh clotted blood.

C/O pain on back and buttoks

Opinion- above injuries are simple and fresh caused by some sharp edge object

मजरूबा परवीन की मेडीकल रिपोर्ट में अंकित चोटों के विषय में चिकित्सक ने अपनी राय व्यक्त की है कि चोटें साधारण है और किसी धारदार वस्तु से कारित हुयी हैं। अभियोजन की ओर से किसी भी चिकित्सकीय गवाह के माध्यम से मजरूबा परवीन की मेडीकल रिपोर्ट को साबित नहीं कराया है। स्पष्ट किया जाता है कि वादी पी0डब्लू01 रियासत व पी0डब्लू0–2 के कथनानुसार अभियुक्त शराफत के द्वारा चाकू से परवीन को चोट कारित किया जाना बताया गया है परन्तु अभियोजन के द्वारा चाकू को अभियुक्त से बरामद किया जाना भी साबित नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा अभियुक्त शराफत से बरामद चाकू को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और चाकू को साबित नहीं किया है। जिससे कि यह साबित हो सके कि परवीन को चोटें चाकू से ही शराफत के द्वारा कारित की गयीं थी। इस प्रकार अभियोजन की ओर

से प्रस्तुत साक्ष्य से धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है।

स्पष्ट किया जाता है कि दं0प्र0सं0 की धारा 222(1) में उल्लेखित है कि– when a person is charged with an offence constituting of several particulars, a combination of some only of which constitutes a complete minor offence, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offence, thaugh he was not charged with it

प्रस्तुत मामले में भी यद्यपि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है परन्तु अभियुक्तगण के द्वारा वादी रियासत, परवीन, व उसके पिता के साथ घर में धुसकर मारपीट करने के विषय में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि–"दिन के 9 बजे सुबह शराफत चाकू, दिलदार के हाथ में लाठी, रमजानी व वशीर डण्डा लेकर मेरे घर में घुस आये। **मुझे व मेरे पिता को डण्डा व लात घूंसों से** शराफत ने मेरी पत्नी को चाकू से मारा। **मुझे व मेरे पिता को अन्दरूनी चोटें आयीं।** बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर प्रतिपरीक्षा में भी रियासत ने बताया है कि–"रमजानी व वशीर ने भी मेरी पत्नी को थोडा बहुत मारा था मारपीट 15 मिनट तक चलती रही।" इसप्रकार अभियुक्तगण के द्वारा धारा 323 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना साबित हो रहा है। यद्यपि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित नहीं किया था परन्तु धारा 222(1) दं0प्र0सं0 के प्रकाश में अभियुक्तगण धारा 323 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आरोप अन्तर्गत धारा 504 भा0दं0सं0

इस आरोप के सम्बन्ध में वादी रियासत ने अपनी तहरीर में बताया है कि–मेरी बीवी के चिल्लाने पर सफूर व असलम व मेरा साला आसान आ गये और शराफत वगैरह को डांटा व समझाया तब वे लोग जान से मार डालने व माँ बहन की गालियां देते हुए चले गये। केस डायरी में सी0डी0 नं0–1 में रियासत ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में भी मुल्जिमान के द्वारा माँ बहन की गालियां देने का कथन किया है। परन्तु इस आरोप के सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी मुख्य परीक्षा में कोई भी कथन नहीं किया है। पी0डब्लू0–2 परवीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुल्जिमान के द्वारा किसी भी प्रकार की गाली–गलौज किये जाने के विषय में कोई भी कथन नहीं किया है। इस प्रकार पी0डब्लू–1,2 के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 504 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहा हैं।

आरोप अन्तर्गत धारा 506 भा0दं0सं0

इस आरोप के सम्बन्ध में वादी ने अपनी तहरीर में सभी मुल्जिमान के द्वारा उसे

जान से मारने की धमकी देने का उल्लेख किया है साथ ही साथ यह भी उल्लेख किया है कि–"इन लोगों ने यह भी धमकी दी कि अगर थाने गये तो जान से मार डालेंगें। इन लोगों ने रास्ते में गाढा बन्दी भी की थी।"

इस आरोप के सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बताया है कि–"मेरी बीवी के चिल्लाने पर सफूर व असलम व मेरा साला आसान आ गये और शराफत वगैरह को डांटा व समझाया तब वे लोग **जान से मार डालने** व माँ बहन की गालियां देते हुए चले गये।"

केस डायरी के परिशीलन से भी स्पष्ट होता है कि पी0डब्लू0–1 रियासत ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में भी मुल्जिमान के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने व गाढा–बन्दी करने का स्पष्ट कथन किया है।

बचाव पक्ष के द्वारा जिरह किये जान पर पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि–"हफ्ते भर यह लोग गाढा बंदी करते रहे। मोहम्मदी आने के लिये गाढा बंदी नहीं की थी। मोहम्मदी से पसगवां जाने वाली रोड पर भी गाढा बंदी की थी। मेरा गांव मोहम्मदी पसगवां रोड पर नहीं पडता है। मोहम्मदी से जहानीखेडा पर मेरा गांव पडता है।"

न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी तहरीर, मुख्य परीक्षा व केस डायरी में धारा 161 के बयानों में भी मुल्जिमान के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने व गाढा बंदी किये जाने का स्पष्ट कथन किया है। परन्तु बचाव पक्ष ने धारा 506 भा0दं0सं0 के आरोप के विषय में पी0डब्लू0–1 रियासत से कोई भी प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछा है। अतः धारा 506 भा0दं0सं0 के आरोप के सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 रियासत के कथन अकाट्य व अखण्डनीय हैं। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था––**Mahavir Singh Vs State of Haryana, (2014) 6 SCC 716 (para 16)**– में यह सिद्धान्त प्रक्षेपित किया गया है कि– Question not put to witness in cross–examination makes the fact final: It is a settled legal proposition that in case the question is not put to the witness in cross–examination who could furnish explanation on a particular issue, the correctness or legality of the said fact/issue could not be raised.

विचाराधीन मामले में भी पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा उन्हे जान से मारने की धमकी देने को स्पष्ट कथन किया है। परन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा धारा 506 भा0दं0सं0 के आरोप के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट प्रश्न साक्षी से नहीं पूछे जाने के कारण पी0डब्लू0–1 रियासत के मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखण्डनीय व अकाट्य होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध ही पढे जाने योग्य हैं। इस प्रकार मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 506 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित होता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दौरान बहस यह कथन किया है कि पूरा घटनाक्रम असत्य है क्योंकि थाने पर सूचना विलम्ब से दी गयी है। विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। बचावपक्ष के उक्त कथन का विरोध करते हुए विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का यह कथन है कि वादी को मुल्जिमान के द्वारा स्पष्ट धमकी दी गयी थी कि अगर थाने जाओगे तो जान से मार देंगें तथा रास्ते में गाढा बंदी भी मुल्जिमान ने की थी। इसलिये 7 दिन का विलम्ब हुआ है।

उभयपक्ष के द्वारा किये गये कथनों व तर्कों के विषय में न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 02.08.2006 समय सुबह 9:00 बजे की बतायी गयी है तथा थाने पर सूचना दिनांक को 09.08.2006 समय 14:30 बजे 7 दिन विलम्ब से दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना स्थल से थाने की दूरी भी 10 किलोमीटर अंकित है। विलम्ब से थाने पर सूचना देने का कारण तहरीर में ही बिल्कुल स्पष्ट ह। क्यों कि तहरीर में ही वादी ने उल्लेख किया है कि– "इन लोगों ने यह भी धमकी दी कि अगर थाने गये तो जान से मार डालेंगें। इन लोगों ने रास्ते में गाढा बन्दी भी की थी।" वादी पी0डब्लू0–1 रियासत ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि–"**हफ्ते भर यह लोग गाढा बंदी करते रहे।** मोहम्मदी आने के लिये गाढा बंदी नहीं की थी। मोहम्मदी से पसगवां जाने वाली रोड पर भी गाढा बंदी की थी।" इसप्रकार मुल्जिमान के भय, डर तथा थाने जाने पर जान से मार डालने की धमकी देने के भय से वादी के द्वारा विलम्ब से थाने पर सूचना देना स्पष्ट हो रहा है। विलम्ब का कारण बिल्कुल व्यवहारिक व विश्वसनीय है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में विलम्ब से सूचना देने से घ टनाक्रम असत्य नहीं माना जा सकता है। अतः बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है।

निष्कर्ष

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो का विश्लेषण करने से न्यायालय का यह निष्कर्श है कि अभियुक्तगण शराफत, दिलदार, वशीर उर्फ वस्सू धारा 323, 452, 506, भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण शराफत, दिलदार, वशीर उर्फ वस्सू को धारा 323, 452, 506, भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र एवं जमानततामें निरस्त किये जाते हैं। जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के बिन्दु पर वास्ते सुनवाई पत्रावली लंच के बाद पुनः पेश हो।

दिनांक–04.07.2026

रजत प्रकाश सोन
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड–यूपी3725

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई के लिये पुनः पेश हुयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित। उभयपक्ष को दण्ड के बिन्दु व परिवीक्षा अधिनियम पर सुना गया।

अभियुक्तगण व उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण काफी गरीब हैं। पत्रावली प्राचीन है तथा अभियुक्तगण को कम से कम जुर्माने से दण्डित करने की कृपा करें।

परिवीक्षा अधिनियम के बिन्दु पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का यह कहना है कि भले ही मामला प्राचीन है लेकिन अभियुक्तगण का अपराध काफी गंभीर है। अभियुक्तगण के द्वारा गृहअतिचार करके वादी की पत्नी, वादी, व उसके पिता के साथ मारपीट की गयी है तथा अभियुक्त शराफत के द्वारा चाकू से वादी की पत्नी के चोट कारित की है। भले भी धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उभयपक्ष को दण्ड के बिन्दु ओर परिवीक्षा अधिनियम के बिन्दु पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली अति प्राचीन है। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि–अभियुक्तगण के द्वारा वादी के घर में गृह अतिचार करके वादी, उसके बुजुर्ग पिता व वादी की पत्नी के साथ मारपीट की गयी है, तथा जान से मारने की धमकी दी गयी है। वादी की पत्नी परवीन को चाकू से अभियुक्त शराफत के द्वारा चोट कारित किया जाना बताया है। भले ही अभियोजन धारा 324 भा0दं0सं0 के आरोप को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है परन्तु अभियुक्तगण के द्वारा एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट किया जाना साबित है। उक्त परिस्थितियो में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, अभियुक्तगण की उम्र, विचारण की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्तगण शराफत, दिलदार, वशीर उर्फ वस्सू को **धारा–323 भा0दं0सं0** के अपराध को कारित करने के लिये 6–6 माह का साधारण कारावास तथा मु0–500–500 रूपये (पांच–पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 15–15 दिन का साधारण कारावास भोगेंगे।

अभियुक्तगण शराफत, दिलदार, वशीर उर्फ वस्सू को **धारा–452 भा0दं0सं0** के अपराध को कारित करने के लिये एक–एक वर्ष का साधारण कारावास तथा मु0–1000–1000 रूपये (एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 30–30 दिन का साधारण कारावास भोगेंगे।

अभियुक्तगण शराफत, दिलदार, वशीर उर्फ वस्सू को **धारा–506 भा0दं0सं0** के अपराध को कारित करने के लिये एक–एक वर्ष का साधारण कारावास तथा मु0–1000–1000 रूपये (एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 30–30 दिन का साधारण कारावास भोगेंगे।

अभियुक्तगण की सभी सजायें एक साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त मुकद्में में पूर्व में जेल में बितायी समयावधि इस सजा में समायोजित की जाये।

अभियुक्तगण धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन मे 20,000–20,000 हजार के बन्ध पत्र तथा समान धनराशि के एक–एक जामिनदार दाखिल करें।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब दी जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार भेजा जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों। कार्यालय अनुपालन करे।

दिनांक– 04.07.2026

रजत प्रकाश सोन
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 04.07.2026

रजत प्रकाश सोन
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725